

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:-प.6(7)राज.-6/1995/31

जयपुर, दिनांक :- 22-11-11

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या-15 वर्ष 1956) की धारा-20 (ख) (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित (प्रशिक्षणार्थी) अधिकारियों को जिन्हें कार्मिक विभाग की आज्ञा क्रमांक:3/1(3)कार्मिक/क-1 /2009 दिनांक 29-6-2011 के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों में सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षण पर) पदस्थापित किया है, को सहायक कलेक्टर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त करती है:-

क.सं.	नाम सर्वश्री	जिला जिसमें पदस्थापित किया है।
1.	श्री प्रकाश राजपुरोहित	अलवर
2.	श्री जितेन्द्र कुमार सोनी	पाली
3.	सुश्री नेहा गिरी	अजमेर
4.	श्री आर0 बेंकटेश कुमार	उदयपुर

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जी0डी0 आर्य)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. संभागीय आयुक्त जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर राजस्थान।
7. जिला कलेक्टर, अलवर, पाली, अजमेर, उदयपुर राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
9. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 22-11-11 में प्रकाशन हेतु।
11. "राविरा" राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. उप शासन सचिव कार्मिक (क-1) विभाग।
13. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव